

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1884 / 2006 / करौली.

मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी, हिंडोनसिटी. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर गंगापुरसिटी. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वैभव कासलीवाल,  
उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 9 / 4 / 2014

### निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 12 / 128 / आरएसटी / अपील्स-चतुर्थ / 04-05 / गंगापुरसिटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 8.3.2006 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2002-03 के कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि औयल सीड की घोषणा पत्रों के समर्थन से की गई विक्रय से अधिक राशि के घोषणा पत्र पेश किये गये। अग्रिम जांच में पाया कि व्यवहारी ने आढ़त, मजदूरी, तुलाई आदि खर्चों को भी बिलों में ग्राहकों से वसूल किया गया है, इसलिये इस विक्रय राशि रूपये 88698/- पर @ 2 प्रतिशत से कर रूपये 1774/- व ब्याज रूपये 692/- अवधारित किया। इसके अलावा वस्तुवार विवरण (CWR) प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 66 के तहत रूपये 300/- आरोपित किये गये। इसके अलावा कर निर्धारण के समय व्यवहारी ने टर्नओवर टेक्स विमुक्ति शुल्क, जो उनके द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में आवेदन मय शपथपत्र में घोषित किया था, में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मेड्ता ड्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज (2001) 26 TW 01 के आलोक में विशेष महत्व की वस्तुओं के टर्नओवर को कम कर विमुक्ति शुल्क रूपये 18000/- के बजाय रूपये 4500/- निर्धारित करने का निवेदन किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अमान्य किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सुनवाई के अवसर के अभाव में प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। अधिनियम की धारा 66 के तहत आरोपित शास्ति से पूर्व नोटिस नहीं दिये जाने के आधार पर शास्ति को अपास्त किया जबकि विमुक्ति शुल्क के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रतिप्रेषण तथा विमुक्ति शुल्क के बिन्दु पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत टर्नओवर को बढ़ाकर, कर निर्धारण पारित कर विधिक भूल की है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर भूल की है। अपीलीय अधिकारी को इस बिन्दु पर अपील स्वीकार करनी चाहिए थी। अतः अपीलीय आदेश अपास्तनीय है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने वर्ष के प्रारम्भ में टर्नओवर व विमुक्ति शुल्क में पिछले वर्ष के टर्न ओवर के आधार पर शुल्क मुक्ति क्लेम की थी, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2000) 26 TW 01 के आधार पर पिछले वर्ष के टर्नओवर में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में घोषित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत से अधिक करारोपण अविधिक निर्णित होने के कारण उस टर्न ओवर को कुल टर्नओवर में घटाने के पश्चात विमुक्ति शुल्क रूपये 4500/- ही रहता है, इसलिये अवधारित विमुक्ति शुल्क रूपये 18000/- में से रूपये 13500/- कम किया जाना चाहिये था। इस आशय का संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.2002 को प्रेषित किया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर अविधिक आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर योग्य आवृत में वृद्धि से पूर्व नोटिस नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया, जो कि अपीलीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होने के कारण कोई त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश दिनांक 8.3.2006 की पालना में प्रकरण को निस्तारित करने के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2002–03 के प्रारम्भ में ही दिनांक 30.4.2007 को टर्नओवर टैक्स विमुक्ति शुल्क हेतु प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया था। बाद में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था। वर्ष 2002–03 में विमुक्ति शुल्क पिछले वर्ष के टर्नओवर पर आधारित है, इसलिए इस वर्ष में घोषित टर्नओवर विमुक्ति शुल्क कम नहीं किया जा सकता था। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य विक्रय में वृद्धि से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया था। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने बाद सुनवाई अवसर व जांच करारोपण किये जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जा सकता था। अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 84 के तहत प्रकरण को जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की शक्तियां प्रदत्त हैं, इसलिए इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।


टर्नओवर टैक्स से विमुक्ति शुल्क में कमी के विषय में अपीलार्थी द्वारा एक संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.2002 को प्रस्तुत कर पूर्व के प्रार्थना पत्र में घोषित टर्नओवर टैक्स विमुक्ति शुल्क घटाते हुए रिफण्ड क्लेम किया था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 8.8.2003 को ही निष्पादित कर आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील में विमुक्ति शुल्क में कमी किये जाने के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2005 के विरुद्ध अपील की गई थी, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2001–02 में टर्न ओवर में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 व 15 में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं का टर्नओवर का एक विवरण पेश किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र के अभाव में अपील अस्वीकार की है जबकि अपीलीय अधिकारी की पत्रावली पर संशोधन आदेश दिनांक 8.8.2003 की छायाप्रति उपलब्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेडता ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज के निर्णय दिनांक 21.5.2001 में विशेष महत्व की वस्तुओं पर 4 प्रतिशत से अधिक किसी प्रकार का कर आरोपित नहीं किया जा सकता था। इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना में स्थिति को स्पष्ट कर, कर निर्धारण अधिकारियों को विशेष महत्व की वस्तुओं पर 4 प्रतिशत से अधिक करदेयता के अभाव में टर्नओवर टैक्स के लिए टर्नओवर शामिल नहीं किये जाने

लगातार.....4

के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत विवरण में उन जिन्सों के नाम का अभाव तथा 4 प्रतिशत से कर अदा कर दिये जाने का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में टर्नओवर टैक्स के उद्देश्य से किसी भी वर्ष के टर्नओवर में विशेष महत्व की वस्तुओं की 4 प्रतिशत कर दत्त विक्रय टर्नओवर को शामिल नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी के इस प्रकरण में वर्ष 2001–02 के टर्न ओवर में 4 प्रतिशत कर विशेष महत्व की वस्तुओं को टर्नओवर को कम किया जाना विधिसम्मत होगा। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी के प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2001–02 में विशेष महत्व की वस्तुओं के विक्रय टर्नओवर की जांच कर यदि 4 प्रतिशत कर प्रदत्त प्रमाणित हो तो उसे विमुक्ति शुल्क के टर्नओवर से कम कर शुल्क का निर्धारण करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार टर्नओवर टैक्स से विमुक्ति शुल्क के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सन्  
०९/०५/१५